

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन भोपाल

क्रमांक/बोर्ड लेखा/मु.म.कृ.जी.क.यो./22-23/4086 भोपाल दिनांक 09/05/22
प्रति,

कलेक्टर,

(समस्त) जिला..... म०प्र० ।

विषय:-मुख्यमन्त्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 के अंतर्गत सहायता राशि विमुक्त करने के संबंध में ।

-----000-----

संदर्भित विषयान्तर्गत मुख्यमन्त्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 के अंतर्गत आपकी मांग अनुसार सहायता राशि समय-समय पर आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से प्रदाय की जाती रही है, प्रदाय राशि का भुगतान आपके द्वारा हितग्राहियों को किया गया है, जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं दिनांक 30.04.22 की स्थिति में स्वीकृत भुगतान लंबित न होने संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें। यदि किसी हितग्राही का भुगतान आपके कार्यालय में लंबित हो तो उसके लिये तत्काल प्रस्ताव आंचलिक कार्यालय को भेजकर राशि प्राप्त कर संबंधितों को आबंटित करते हुये भुगतान लंबित न होने संबंधी प्रमाण-पत्र भेजने का कष्ट करें।

संलग्न:- प्रमाण-पत्र का प्रारूप



प्रबंध संचालक

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

भोपाल दिनांक 09/05/22

क्रमांक/बोर्ड लेखा/ मु.कृ.जी.क.यो./ 4087

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय समस्त.....की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टरों से उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

2. उपसंचालक,(योजना) म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल ।



प्रबंध संचालक

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से 30 अप्रैल 2022 तक के निराकृत प्रकरणों से संबंधित राशि का भुगतान समस्त हितग्राहियों को किया जा चुका है।

संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर
(वास्ते कलेक्टर)
जिला.....